

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/अजमेर/डी-598/2019/239

दिनांक: 18-02-19

-: संशोधन आदेश :-

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 779 दिनांक 31.05.18 दिनांक, 878 दिनांक 15.06.18, 1537 दिनांक 28.11.2018 एवं 30 दिनांकक 11.01.2019 के द्वारा जिला अजमेर के अधीन कार्यरत निम्न नर्स द्वितीय का 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक पूर्ण करने पर नियमितीकरण किया गया था, में कॉलम संख्या 5 में अंकितानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र. स.	निदेशालय का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	उक्त आदेश में क्रम संख्या	आदेश में अंकित नाम/जन्मतिथि/परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि/वेतन नियतन तिथि	संशोधित नाम/जन्मतिथि/परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि/वेतन नियतन तिथि
1.	1537/28.11.18	19	मदन मोहन गोठवाल 14.02.18 (परिवीक्षापूर्ण तिथि) 15.02.18 (वेतन नियतन तिथि)	मदन मोहन गोठवाल 21.02.18 (परिवीक्षापूर्ण तिथि) 22.02.18 (वेतन नियतन तिथि)
2.	1537/28.11.18	22	मिथलेश मीणा 13.02.18 (वेतन नियतन तिथि)	मिथलेश मीणा 14.02.18 (वेतन नियतन तिथि)
3.	779/31.05.18	315	प्रदीप कुमार 22.03.16 (कार्यग्रहण तिथि) 21.03.18 (परिवीक्षापूर्ण तिथि) 22.03.18 (वेतन नियतन तिथि)	प्रदीप कुमार 21.03.16 (कार्यग्रहण तिथि) 20.03.18 (परिवीक्षापूर्ण तिथि) 21.03.18 (वेतन नियतन तिथि)
4.	878/15.06.18	47	सुरेश चन्द जाट 12.02.18 (परिवीक्षापूर्ण तिथि)	सुरेश चन्द जाट 11.02.18 (परिवीक्षापूर्ण तिथि)
5.	30/11.01.19	8	बंटी प्रसाद 21.08.91 (जन्म तिथि)	बंटी प्रसाद 20.08.91 (जन्म तिथि)

शेष आदेश यथावत।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 18-02-19

क्रमांक: ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/अजमेर/डी-598/2019/239

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
2. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि क्रम श्री मिथलेश कुमार मीणा की जन्म तिथि में संशोधन हेतु 10 वी की प्रमाणित अंकतालिका व सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति भिजवाने एवं पिकी टेलर एवं सुमन के संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुये है वे सही प्रतीत नहीं होते है। पूर्व के किये गये स्थाईकरण आदेश में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ब्यावर (अजमेर) को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व में गलत प्रस्ताव भिजवाने हेतु अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सवरूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।